रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/20 जयपुर, दिनांक 01-02-2021

समस्त विशिष्ठ लोक अभियोजक,
एनडीपीएस न्यायालय,
राजस्थान।

विषयः– **विशेष न्यायालय स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1988 से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के संबंध में।**

सन्दर्भः– **नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र नं0 03/2019**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम किशन भाई व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय के पैरा 21 में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित प्रकरणों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने के कारणों की समीक्षा करते हुये दोषी अधिकारीगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की ओर से अनावश्यक रूप से आगामी तारीख पेशी हेतु कार्यवाही स्थगित नहीं करने हेतु निवेदन किया जावे तथा प्रकरणों में जमानत/रिमाण्ड व विचारण के समय राज्य की ओर से पुरजोर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जावे तथा जमानत/रिमाण्ड, बहस चार्ज एवं अन्तिम बहस के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की सुसंगत नजीर(citations) भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे एवं निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

ह0
(मधुसूदन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) को उनके अशाटीप क्रमांक प.17(8)गृह–10/2014 पार्ट–1 दिनांक 07.01.21 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मधुसूदन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण